संख्या-548/2025/आई/1136502/23-1-25/001-23-1002(002)/283/2025

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 07 नवम्बर, 2025**

विषय- वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से गोरखपुर मण्डल के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के कुल 44 विशेष मरम्मत के कार्यों हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के अधोलिखित तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार **गोरखपुर मण्डल के विभिन्न जनपदों के कुल 44 विशेष मरम्मत के कार्यों हेतु कुल लागत रू0 27,82,85,000/- (रूपये सत्ताईस करोड़ बयासी लाख पचासी हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ** चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-58 के **लेखाशीर्षक-3054** के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से कुल **रू0 9,73,99,000/- (रूपये नौ करोड़ तिहत्तर लाख निन्यानबे हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0 का पत्र संख्या व दि0	खण्ड/ जनपद का नाम	यूनिक कोड	कार्य का नाम	क्षतिग्रस्त लम्बाई (कि0 मी0 में)	कुल लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	I/303488/2025 dt 9.10.25	नि.ख. देवरिया	601025	महुआडीह से बेलवा बाजार होते हुए रामपुर हीरामान चैराहा तक सम्पर्क मार्ग	2.900	63.29	22.15
2	I/303488/2025 dt 9.10.25	नि.ख. देवरिया	601204	बेल्महा से पाण्डेयपुर सम्पर्क मार्ग	2.500	50.03	17.51
3	I/303488/2025 dt 9.10.25	प्रा.ख. गोरखपुर	581095	ग्राम पिडिया में कोहार टोला से माल्हनपार संपर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य	2.000	55.55	19.44

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0 का पत्र संख्या व दि0	खण्ड/ जनपद का नाम	यूनिक कोड	कार्य का नाम	क्षतिग्रस्त लम्बाई (कि0 मी0 में)	कुल लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
4	I/303488/2025 dt 9.10.25	प्रा.ख. गोरखपुर	580239	अवरारूप बॉरीगांव वाया बिढौरा सम्पर्क मार्ग	3.500	47.73	16.71
5	आई/322566/2025, दिनांक 29.10.2025	प्रा.ख. गोरखपुर	580041	उसरैन बलिहारी संपर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य	2.500	44.42	15.55
6	आई/322566/2025, दिनांक 29.10.2025	प्रा.ख. गोरखपुर	584201	उसरैन इन्नाडीह भरोहिया हुडरी सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य	3.000	48.53	16.99
7	I/303488/2025 dt 9.10.25	प्रा.ख. गोरखपुर	580767	रौजा दरगाह सम्पर्क मार्ग	3.700	64.51	22.58
8	I/303488/2025 dt 9.10.25	प्रा.ख. गोरखपुर	580461	बांसगांव भैसारानी बैदौली बरियार मार्ग	0.650	48.72	17.05
9	I/303488/2025 dt 9.10.25	प्रा.ख. गोरखपुर	580401	जोन्हिया सीहापार संपर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य	1.500	44.99	15.75
10	I/303488/2025 dt 9.10.25	प्रा.ख. गोरखपुर	580028	मगहर बुदहट से गांधी इण्टर कालेज हरपुर संपर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य	2.800	62.19	21.77
11	I/303488/2025 dt 9.10.25	प्रा.ख. गोरखपुर	580521	टेकवार कूडाभरत सम्पर्क मार्ग	2.000	50.03	17.51
12	आई/322566/2025, दिनांक 29.10.2025	प्रा.ख. गोरखपुर	586850	एन0एच0-28 से खीरीडांड संपर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य	3.500	71.18	24.91
13	आई/322566/2025, दिनांक 29.10.2025	प्रा.ख. गोरखपुर	580125	भप्सा से चिरैयाडांड संपर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य	2.400	63.86	22.35
14	I/303488/2025 dt 9.10.25	नि.ख. कुशीनगर	590404	सुधियानी सोमली मंसूरगंज लक्ष्मीपुर मार्ग (अन्य जिला मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	3.250	47.34	16.56
15	I/303488/2025 dt 9.10.25	नि.ख. कुशीनगर	591290	पड़री अवरवा सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	1.500	63.59	22.26
16	I/320902/2025 dt 28.10.25	नि.ख.-3 गोरखपुर	581569	मोहालीपुर हतवा सम्पर्क मार्ग।	1.800	50.12	17.54
17	I/320902/2025 dt 28.10.25	नि.ख.-3 गोरखपुर	581974	डिहवा बुजुर्ग सम्पर्क मार्ग।	2.000	51.81	18.13
18	/320902/2025 dt 28.10.25	नि.ख.-3 गोरखपुर	580281	आजाद चैक से चिलमापुर भरवलिया होते हुए होते हुए गोरखपुर देवरिया बाईपास तक सम्पर्क मार्ग।	1.100	161.01	56.35
19	I/320902/2025 dt 28.10.25	नि.ख.-3 गोरखपुर	582044	बनसप्ति बेलवार से रायगंज सम्पर्क मार्ग।	1.000	51.89	18.16
20	I/303488/2025 dt 9.10.25	नि.ख. महराजगंज	576036	बी0एम0सी0टी0 मार्ग के किमी0 82 से शितलपुर चौराहे से खुटहां नहर पटरी मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य	4.000	67.07	23.47

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0 का पत्र संख्या व दि0	खण्ड/ जनपद का नाम	यूनिक कोड	कार्य का नाम	क्षतिग्रस्त लम्बाई (कि0 मी0 में)	कुल लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
21	I/320902/2025 dt 28.10.25	प्रा.ख. महराजगंज	570469	सी0एस0एन0टी0एन0 मार्ग से खपरधिक्का टोला मार्ग	1.500	45.99	16.10
22	I/320902/2025 dt 28.10.25	नि.ख.-3 गोरखपुर	582156	बंजरहा चौराहे से हीरागंज प्राईमरी स्कूल तक सम्पर्क मार्ग।	1.800	59.67	20.88
23	I/320902/2025 dt 28.10.25	नि.ख.-3 गोरखपुर	582274	राजी सेमरा से जंगल क्षत्रधारी होते हुए लंगड़ी गुलहरिया तक सम्पर्क मार्ग।	2.000	43.75	15.31
24	आई/322566/2025, दिनांक 29.10.2025	नि.ख.-2 गोरखपुर	587307	गोविन्दपुर से पंडितपुरवा सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य।	3.000	62.71	21.95
25	I/320902/2025 dt 28.10.25	प्रा.ख. महराजगंज	570067	बसन्तपुर खुर्द सम्पर्क मार्ग	3.500	70.27	24.59
26	I/320902/2025 dt 28.10.25	प्रा.ख. महराजगंज	570144	जी0एम0 मार्ग से रामनगर अम्बेडकर ग्राम मार्ग	1.000	64.24	22.48
27	आई/322566/2025, दिनांक 29.10.2025	प्रा.ख. महराजगंज	570234	पकड़ी नौनिया बरवां फहीम खुटहा मुड़िला मार्ग	1.350	124.54	43.59
28	I/320902/2025 dt 28.10.25	प्रा.ख. महराजगंज	570042	सबया चनकौली जहदा वसूली मार्ग	3.000	47.43	16.60
29	I/320902/2025 dt 28.10.25	प्रा.ख. महराजगंज	570116	जगदौर देउरवा बीसोखार सम्पर्क मार्ग	1.000	69.18	24.21
30	आई/322566/2025, दिनांक 29.10.2025	प्रा.ख. महराजगंज	570384	सी0एस0एन0टी0एन0 मार्ग से कटहरी पेट्रोल पम्प से पैकौली भौथियाहीं सम्पर्क मार्ग	1.800	42.68	14.94
31	आई/322566/2025, दिनांक 29.10.2025	प्रा.ख. महराजगंज	570299	सिंहपुर सम्पर्क मार्ग	0.950	77.87	27.25
32	आई/322566/2025, दिनांक 29.10.2025	प्रा.ख. कुशीनगर	590439	लक्षिया देवरिया सम्पर्क मार्ग	3.000	79.92	27.97
33	आई/322566/2025, दिनांक 29.10.2025	प्रा.ख. कुशीनगर	591047	बरवा राजा पाकड़ करमैनी से पगरा पड़री सम्पर्क मार्ग	5.500	121.59	42.56
34	आई/322566/2025, दिनांक 29.10.2025	प्रा.ख. कुशीनगर	591026	सेमरा से भैंसही (नहर की पटरी) सम्पर्क मार्ग	1.900	40.90	14.32
35	आई/322566/2025, दिनांक 29.10.2025	प्रा.ख. कुशीनगर	590357	अर्जुनहां शिवपुर कुबेरस्थान मार्ग	1.275	128.50	44.98
36	आई/322566/2025, दिनांक 29.10.2025	प्रा.ख. कुशीनगर	591077	मिश्रौली से नरकटिया खुर्द सम्पर्क मार्ग	2.500	42.40	14.84

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0 का पत्र संख्या व दि0	खण्ड/ जनपद का नाम	यूनिक कोड	कार्य का नाम	क्षतिग्रस्त लम्बाई (कि0 मी0 में)	कुल लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
37	आई/322566/2025, दिनांक 29.10.2025	प्रा.ख. कुशीनगर	596080	पडरौना कुबेरस्थान मार्ग कि0मी0 11 से बालखण्डी चौराहा होते हुये महारानी सम्पर्क मार्ग	0.720	57.55	20.14
38	आई/322566/2025, दिनांक 29.10.2025	प्रा.ख. कुशीनगर	591441	कंठी छपरा मार्ग से कंठी छपरा दोपही मार्ग	1.450	46.05	16.12
39	आई/322566/2025, दिनांक 29.10.2025	प्रा.ख. कुशीनगर	590802	माधी मठिया कि0मी0 2 से माधोपुर गौजही सम्पर्क मार्ग	1.400	46.91	16.42
40	आई/322566/2025, दिनांक 29.10.2025	प्रा.ख. कुशीनगर	590941	पडरौना बॉसीघाट मार्ग से खिरकिया सम्पर्क मार्ग	2.550	93.07	32.57
41	आई/322566/2025, दिनांक 29.10.2025	प्रा.ख. कुशीनगर	596633	तमकुही सिसवा नाहर अहिरौलीदान मार्ग कि0मी0.17 से मठिया श्रीराम सम्पर्क मार्ग।	2.050	54.31	19.02
42	आई/322566/2025, दिनांक 29.10.2025	प्रा.ख. देवरिया	601800	देवरिया बेलडाड मार्ग से पैकौली वाया फुलवरिया सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	3.500	59.35	20.77
43	आई/322566/2025, दिनांक 29.10.2025	प्रा.ख. देवरिया	606278	भाटपार भिंगारी भवानीछापर (अ0जि0मा0) किमी0 5 में स्थित दुर्गापुर स्कूल से मिस्कारचक होते हुए करौंदा चैराहा तक सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	2.500	48.19	16.87
44	आई/322566/2025, दिनांक 29.10.2025	प्रा.ख. देवरिया	605797	करजनिया से खेमीपुर बिहार बार्डर तक सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य	2.500	47.92	16.77
					कुल योग-	**2782.85**	**973.99**

(1) प्रश्नगत कार्य की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। यदि द्विरावृत्ति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त करते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय।

(2) प्रश्नगत कार्य को उस समय तक प्रारम्भ न किया जाय और न ही उन पर कोई व्यय भार लिया जाय जब तक कि स्वीकृत लागत के अन्तर्गत विस्तृत आगणन गठित कर उस पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्राविधिक स्वीकृति प्रदान न कर दी जाय। यदि यह कार्यवाही

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

सुनिश्चित नहीं की जाती है तो समस्त उत्तरदायित्व संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता का होगा।

(3) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(4) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित की गयी है। विभाग का दायित्व होगा कि भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी0एस0टी0 का भुगतान सुनिश्चित किया जाये। साथ ही विभाग का यह भी दायित्व होगा कि प्रायोजना के निर्माण कार्यो में वास्तविक खपत (CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट व स्टील, ग्रिट, बिटुमिन इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक/मानक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 भुगतान किया जाये।

(5) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय। यदि यह कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जाती है तो समस्त उत्तरदायित्व संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता का होगा।

(6) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2026 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 30 अप्रैल 2026 तक शासन को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाय।

(7) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।

(8) राज्य सड़क निधि हेतु गठित उ0प्र0 राज्य सड़क निधि प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रायोजन हेतु व्यय की गयी है। विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि कार्य की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद कार्य की अव्यवहारिकता दर्शाते हुए स्वीकृति निरस्त न हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(9) प्रश्नगत कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाय ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय। प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि न होने पाये।

(10) विभाग द्वारा यथावश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(11) परियोजना की लागत व समय सीमा में बढोत्तरी न हो, इस हेतु परियोजना के निर्माण कार्य की साप्ताहिक समीक्षा सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता द्वारा एवं माह में कम से कम एक बार समीक्षा विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग के स्तर पर सुनिश्चित की जायेगी।

(12) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा प्रश्नगत कार्य से सम्बन्धित बचत (यदि हो तो) व कार्य पूर्णता इत्यादि की सूचना यथासमय शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) परियोजना को निर्धारित समयसीमा के अन्दर अवश्य पूर्ण कर लिया जाये तथा टाइम ओवर रन एवं क्रास्ट ओवर रन इत्यादि के कारण प्रायोजना का पुनरीक्षण भविष्य में नहीं किया जायेगा।

(14) वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99, दिनांक 22 मार्च, 2021 के अनुसार अनुमोदित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त इसकी डी0पी0आर0 गठित करने के उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति निर्गत की जाय। यदि इस प्रक्रिया में यह परिलक्षित होता है कि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षित आगणन गठन करते हुए 03 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर व्यय-वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाय, अन्यथा की स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना पर व्यय-वित्त समिति द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

(15) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है, तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जाये।

(16) प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है। मार्ग निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि शासन स्तर से अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(17) परियोजना पूर्ण होने में विलम्ब की स्थिति उत्पन्न होने अथवा परियोजना की लागत में वृद्धि की दशा में इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग एवं मुख्य अभियन्ता (मु0-1) एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का होगा तथा भविष्य में यदि परियोजना की लागत में वृद्धि होती है तो ऐसी दशा में लागत में बढोत्तरी की कुल धनराशि की वसूली सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता आदि के वेतन से की जायेगी।

(18) परियोजना से सम्बन्धित समस्त तकनीकी पक्षों/तथ्यों व उनके परीक्षण/सत्यापन तथा इस परियोजना के निर्धारित मानकों के अनुरूप होने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग का होगा।

(19) जिन मार्गों के सृष्टि कोड अंकित नहीं है, उनके संबंध में प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि मार्ग लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व के हैं अथवा उनके लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में न होने की दशा में संबंधित विभाग से अनापत्ति प्राप्त किये जाने के उपरान्त कार्यवाही की जाय।

(20) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-06/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(21) उपरिलिखित सभी शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, मुख्य अभियन्ता (मु0-1) एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **रू0 9,73,99,000/- (रूपये नौ करोड़ तिहत्तर लाख निन्यानबे हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 **लेखाशीर्षक "3054**043370500 राज्य सड़क निधि से सड़कों का अनुरक्षण मानक मद 29 अनुरक्षण" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231 /2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-548/2025/आई/1136502(1)/23-1-25/001-23-1002(002)/283/2025, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश शासन।
2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
5- मुख्य अभियंता(मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
6- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
7- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
8- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
9- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
10- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
11- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
12- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अभिषेक गंगवार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in